न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रकरण संख्या 59/2019(2019/00382)

लादूराम पुत्र रामदेव उर्फ गणेश उम्र 43 साल जाति ढोली निवासी चितिवास तह. सावर जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

—अप्रार्थी

2. श्रीमति गोमती पत्नि रामेदव उर्फ गणेश जाति ढोली नि.चितिवास तह. सावर

—प्रफॉर्मा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131भू.राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 11.11.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की निम्न वर्णित आराजी वाके ग्राम चितिवास तहसील सावर में स्थित है।

खाता सं. नया	–	पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
43		49	96	0.34	चाही 3

उक्त आराजी खसरा नम्बर 96 के पुराने नम्बर 82 है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक व अधिकार नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 82 है जिसके नये खसरा नम्बर 96 है। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस स. 2027 में स्पष्ट रूप से किया हुआ है। वर्तमान में वन टु वन मेंपिग के दौरान आराजी खसरा नम्बर साबिक 82 नये खसरा नम्बर 96 तथा साबिक खसरा नम्बर 83 के नये खसरा नम्बर 96/1554 को एक साथ मिलाते हुये नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्ती बाबत दिनांक 19.7.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे श्रीमान ने आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रार्थी को भिजवा दिया लेकिन अप्रार्थी ने आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का मूल कारण दिनांक 18.7.2019 को उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उपस्थित हो रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 82 रकबा 0.34 है0 जिसके नये खसरा नम्बर 96 रकबा 0.34 है. के नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 में तरमीम अनुसार वन टू वन मेंपिग कार्यक्रम के दौरान गलत व मनमाने ढंग से वर्तमान नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नम्बर 83 रकबा 0.02 है. जिसके नये खसरा नम्बर 96/1454 रकबा 0.02 है. को एक साथ तरमीम कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम किया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गयां । अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सावर द्वारा आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर बाढ का झोपडा में जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार नक्शा ट्रेस के साबिक खसरा नम्बर 82 रकबा 2–3–00बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 96 रकबा 0.34 है। साबिक नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

में आराजी खसरा नम्बर 83 किस्म गै.मु. चाह रकबा 00—03—00 गंगाराम वल्द माधू कोम मीणा के नाम दर्ज थी। जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.01 गै.मु. चाह व ख.न. 96/1454 रकबा 0.02 है.चाह 2 दर्ज कर दी गई है। खसरा नम्बर 96/1454 रकबा 0.02 की तरमीम ख.न. 96 में दर्ज है वादी का खसरा नम्बर 96 रकबा 0.34 है. का नाप करने पर 0.32 है. आता है। जिसमें खसरा नम्बर 96/1454 रकबा 0.02 है. भी शामिल है। अतः खसरा नम्बर 96/1454 रकबा 0.02 है. के बजाय ख.न. 89/1454 रकबा 0.02 है. किया जावें, एवं ख.न. 89 को नयी तरमीम किया जाने पर वादी के खसरा नम्बर 96 का नाप रकबा 0.34 है. के बराबर होंगी।

जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराया तथा जवाब के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की सहमति जाहीर की।

पत्रावली के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम चितिवास के नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खसरा नम्बर 96/1454 रकबा 0.02 है. के स्थान पर तरमीम खसरा नम्बर 89 में 89/1454 रकबा 0.02 है. दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड एंव तरमीम दुरूस्त करें। अन्य इन्द्राज बदस्तूर रहेगें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल ब्राढ का झोपडा में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एंव शिविर प्रभारी केकड़ी,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner